

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265304  
SG-DL-E-08082025-265304

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 174
No. 233]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 174

## भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

फा.सं. 21/5/DGST(2nd A)/2025/LAS-VIII/Legn./9741.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025  
2025 का विधेयक संख्या 05

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 7 अगस्त, 2025 को पुरःस्थापित किया गया)

## दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

### एक विधेयक

#### दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में और संशोधन करने हेतु

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-** (i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाए।  
(ii) अधिनियम की धारा 2 से 15 उस तिथि को प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों हेतु भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकेगी।
2. **धारा 2 में संशोधन :-** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तत्पश्चात् दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 में,—  
(i) खंड (61) में, “धारा 9” शब्द और अंक के पश्चात्, “इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 01 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा;  
(ii) खंड (69) में, —  
(क) उपखंड (ग) में, “नगरपालिका का प्रबंधन” शब्दों के पश्चात् “निधि” शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;  
(ख) उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“स्पष्टीकरण.— इस उप-खंड के प्रयोजनों हेतु—  
(क) “स्थानीय निधि” का अभिप्राय किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित किसी स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के अन्तर्गत किसी निधि से है तथा किसी भी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां कानून द्वारा निहित हैं;  
(ख) ‘नगरपालिका निधि’ का अभिप्राय किसी महानगरीय क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के अन्तर्गत किसी निधि से है तथा किसी भी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां कानून द्वारा निहित हैं;”;  
(iii) खंड (116) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
‘(116क) “विशिष्ट पहचान चिह्नांकन” का अभिप्राय धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन से है तथा इसके अंतर्गत डिजिटल स्टाम्प, डिजिटल चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्नांकन शामिल है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाए जाने योग्य हो;’।

3. **धारा 12 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) का विलोप किया जाएगा।
4. **धारा 13 में संशोधन :**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) का विलोप किया जाएगा।
5. **धारा 17 में संशोधन :**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में, —
  - (i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर "संयंत्र तथा मशीनरी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
  - (ii) स्पष्टीकरण को उसके **स्पष्टीकरण-1.** के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 

**स्पष्टीकरण 2.** — खंड (घ) के प्रयोजनों हेतु, यह एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी भी संदर्भ को "संयंत्र तथा मशीनरी" के संदर्भ के रूप में ही समझा जाएगा, तथा हमें" का समझा जाए;।
6. **धारा 20 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से लागू—
  - (i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के पश्चात् "इस अधिनियम की या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के पश्चात् "इस अधिनियम की या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
7. **धारा 34 में संशोधन:** — दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 

"बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि—

  - (i) ऐसे प्रत्यय नोट के कारण प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, यदि प्राप्त किया गया है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया है, जहां ऐसा प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति है; या
  - (ii) ऐसी आपूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाला गया है, अन्य मामलों में"
8. **धारा 38 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में, —
  - (i) उपधारा (1) में, "स्वतः-जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "विवरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) उपधारा (2) में, —
- (क) “के अंतर्गत स्वतः जनित विवरण” शब्दों के स्थान पर “संदर्भित विवरण” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) खंड (क) में, “और” शब्द का विलोप किया जाएगा;
- (ग) खंड (ख) में, “प्राप्तकर्ता द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “सहित” शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (घ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“(ग) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जाएं।”
9. **धारा 39 में संशोधन** :— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, “और ऐसे समय के भीतर” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे समय के भीतर, तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
10. **धारा 107 में संशोधन** :— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —  
“ब’<sup>1</sup> कि किसी कर की मांग के बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के खिलाफ तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।”
11. **धारा 112 में संशोधन**:— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —  
“ब’<sup>1</sup> कि किसी कर की मांग के बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के खिलाफ तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।”
12. **नई धारा 122ख में सम्मिलन**:— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“122ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह अध्याय XV या इस अध्याय के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी दंड के अतिरिक्त, एक लाख रुपये या ऐसे माल पर देय कर के दस प्रतिशत के बराबर जुर्माना (जो भी अधिक हो) “देने के लिए उत्तरदायी होगा।”
13. **नई धारा 148क में सम्मिलन**:— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“148क. (1) सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, —  
(क) माल;  
(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो ऐसे माल पर आधिपत्य रखते हैं या उससे संबंधित कार्य करते हैं,  
पर इस धारा के प्रावधान लागू होंगे।

- (2) सरकार उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, —
- (क) विशिष्ट पहचान चिह्नांकन करने तथा उसमें निहित सूचना के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण तथा उस तक पहुंच हेतु, एक प्रणाली उपलब्ध कराना ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि निर्धारित किया जाए; तथा
- (ख) ऐसे माल हेतु विशिष्ट पहचान चिह्नांकन निर्धारित करना, जिसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी शामिल है।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, —
- (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर एक विशिष्ट पहचान चिह्नांकन करना, जिसमें ऐसी सूचना और ऐसी रीति सम्मिलित हो;
- (ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करना तथा ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों को ऐसे प्रपत्र और रीति में बनाए रखना;
- (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारोबार के स्थान पर स्थापित मशीनरी का ब्यौरा, जिसमें पहचान, क्षमता, संचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना शामिल है, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्रपत्र और रीति में प्रस्तुत करना;
- (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना;
- जैसा निर्धारित किया जा सकता है।”

14. **अनुसूची III में संशोधन:—** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में,
- (i) परिच्छेद 8 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- “(कक) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में गोदाम में रखे गए माल के निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र हेतु मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को आपूर्ति;”
- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, “के प्रयोजनों हेतु” शब्दों के पश्चात्, “खंड (क)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
- स्पष्टीकरण 3. —** परिच्छेद 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों हेतु “विशेष आर्थिक क्षेत्र”, “मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र” और “घरेलू टैरिफ क्षेत्र” के क्रमशः वही अभिप्राय होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए यथा निर्दिष्ट हैं।”
15. **भुगतान किए गए कर या रिवर्स इनपुट कर प्रत्यय की कोई वापसी नहीं:—** ऐसे सभी एकत्रित कर को वापिस नहीं किया जाएगा, जो इस प्रकार एकत्रित नहीं किए जाते, यदि सभी सामग्री मदों पर धारा 14 लागू रही होती।

### उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा माल या सेवा अथवा दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और एकत्र करने के प्रावधान बनाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने अपनी 55वीं बैठक में परिभाषाओं में संशोधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया तथा परिभाषाओं एवं धाराओं में संशोधन के प्रभावों को दर्शाने तथा नई धाराओं के सम्मिलन हेतु केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का संख्या 07) की राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद की 21 दिसंबर 2024 को हुई 55 वीं जीएसटी बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 तथा दिल्ली माल एवं सेवा कर, 2017 (2017 का 3) के मध्य एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु, दिल्ली माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2025 को राज्य विधानमंडल द्वारा, जहां भी आवश्यक हो, राज्य विशिष्ट संशोधन करने के पश्चात् अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।
3. प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा (द्वितीय संशोधन) कर विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
  - (i) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 को संशोधित करके धारा 9 शब्दों के पश्चात् "इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।  
नगरपालिका के प्रबंधन शब्दों के पश्चात् निधि शब्द को अन्तःस्थापित करना तथा "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने हेतु स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करना।  
"विशिष्ट पहचान चिह्नंकन" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने हेतु दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 116 के पश्चात् खंड (116क) को अंतःस्थापित किया जाएगा।
  - (ii) वाउचर के मामले में माल की आपूर्ति के समय से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 12 की उपधारा (4) का विलोप किया जाएगा।
  - (iii) वाउचर के मामले में सेवा की आपूर्ति के समय से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा (4) का विलोप किया जाएगा।
  - (iv) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में संशोधन करने हेतु, "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों को "संयंत्र तथा मशीनरी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।
  - (v) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 की उप-धारा (1) तथा (2) में संशोधन, ताकि आरसीएम के अन्तर्गत आईजीएसटी पर लगने वाली अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामले में आईएसडी पंजीकरण की आवश्यकता और प्रत्यय वितरण के तरीके का प्रावधान किया जा सके, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
  - (vi) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उपधारा (2) के परन्तुक में संशोधन करना, जिसमें कुछ मामलों में प्रत्यय नोट जारी करने पर आपूर्तिकर्ता को आउटपुट कर देयता में किसी कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - (vii) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 38 में संशोधन कर "स्वतः-जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर "विवरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - (viii) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (1) में संशोधन करने हेतु "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों से "ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ix) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 की उप-धारा (6) में संशोधन करना, ताकि केवल जुर्माना तथा कोई कर नहीं मांगने वाले आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के मामले में जुर्माना राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य पूर्व-जमा का प्रावधान किया जा सके।
- (x) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उप-धारा (8) में परंतुक सम्मिलन हेतु, केवल जुर्माना तथा कोई कर नहीं मांगने वाले आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के मामले में जुर्माना राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य पूर्व-जमा का प्रावधान करना।
- (xi) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 122ख को अन्तःस्थापित करना ताकि ट्रैक एवं ट्रेस तंत्र का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सके।
- (xii) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 के पश्चात् धारा 148क को अन्तःस्थापित करना ताकि परिषद की सिफारिशों पर कुछ वस्तुओं हेतु ट्रैक एवं ट्रेस तंत्र प्रदान किया जा सके।
- (xiii) दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के खंड (क) के पश्चात् खंड (कक) को अन्तःस्थापित करना, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंजूरी से पहले एसईजेड/एफटीडब्ल्यूजेड में गोदाम में रखे गए माल की आपूर्ति को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति समझा जाएगा।
- (xiv) ऐसे सभी एकत्रित कर को वापिस नहीं किया जाएगा, जो इस प्रकार एकत्रित नहीं किए जाते, यदि सभी सामग्री मदों पर धारा 14 लागू रही होती।

4. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(रेखा गुप्ता)

मुख्यमंत्री/मंत्री (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

### वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025, में दिल्ली की समेकित निधि पर किसी भी प्रकार का आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय शामिल नहीं है।

(रेखा गुप्ता)

मुख्यमंत्री/मंत्री (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

### प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 में अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किसी भी पदाधिकारी के पक्ष में शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं किया गया है।

(रेखा गुप्ता)

मुख्यमंत्री/मंत्री (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार



**खण्डों पर टिप्पणियाँ**  
**(डीजीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 हेतु)**

1. विधेयक के खंड 1 में संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ का प्रावधान है ।
2. विधेयक के खंड 2 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 को संशोधित करके धारा 9 शब्दों के पश्चात् "इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।  
नगरपालिका के प्रबंधन शब्दों के पश्चात् निधि शब्द को अन्तःस्थापित करना तथा "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने हेतु स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करना।  
"विशिष्ट पहचान चिह्नकन" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने हेतु दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 116 के पश्चात् खंड (116क) को अन्तःस्थापित किया जाएगा।
3. विधेयक के खंड 3 का अभीष्ट है कि वाउचर के मामले में माल की आपूर्ति के समय से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 12 की उपधारा (4) का विलोप किया जाएगा।
4. विधेयक के खंड 4 का अभीष्ट है कि वाउचर के मामले में सेवा की आपूर्ति के समय से संबंधित दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उपधारा (4) का विलोप किया जाएगा।
5. विधेयक के खंड 5 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में संशोधन करने हेतु, "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों को "संयंत्र तथा मशीनरी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।
6. विधेयक के खंड 6 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 की उप-धारा (1) तथा (2) में संशोधन, ताकि आरसीएम के अन्तर्गत आईजीएसटी पर लगने वाली अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामले में आईएसडी पंजीकरण की आवश्यकता और प्रत्यय वितरण के तरीके का प्रावधान किया जा सके, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
7. विधेयक के खंड 7 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 34 की उपधारा (2) के परन्तुक में संशोधन करना, जिसमें कुछ मामलों में प्रत्यय नोट जारी करने पर आपूर्तिकर्ता को आउटपुट कर देयता में किसी कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. विधेयक के खंड 8 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 38 में संशोधन कर "स्वतः-जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर "विवरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. विधेयक के खंड 9 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (1) में संशोधन करने हेतु "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों से "ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
10. विधेयक के खंड 10 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 की उप-धारा (6) में संशोधन करना, ताकि केवल जुर्माना तथा कोई कर नहीं मांगने वाले आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के मामले में जुर्माना राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य पूर्व-जमा का प्रावधान किया जा सके।
11. विधेयक के खंड 11 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 112 की उप-धारा (8) में परंतुक सम्मिलन हेतु, केवल जुर्माना तथा कोई कर नहीं मांगने वाले आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के मामले में जुर्माना राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य पूर्व-जमा का प्रावधान करना।
12. विधेयक के खंड 12 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 122ख को अन्तःस्थापित करना ताकि ट्रैक एवं ट्रेस तंत्र का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सके।
13. विधेयक के खंड 13 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 के पश्चात् धारा 148क को अन्तःस्थापित करना ताकि परिषद की सिफारिशों पर कुछ वस्तुओं हेतु ट्रैक एवं ट्रेस तंत्र प्रदान किया जा सके।
14. विधेयक के खंड 14 का अभीष्ट है कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के खंड (क) के पश्चात् खंड (कक) को अन्तःस्थापित करना, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंजूरी से पहले एसईजेड/एफटीडब्ल्यूजेड में गोदाम में रखे गए माल की आपूर्ति को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति समझा जाएगा।
15. विधेयक के खंड 15 का अभीष्ट है कि ऐसे सभी एकत्रित कर को वापिस नहीं किया जाएगा, जो इस प्रकार एकत्रित नहीं किए जाते, यदि सभी सामग्री मदों पर धारा 14 लागू रही होती।

(रेखा गुप्ता)

मुख्यमंत्री/मंत्री (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT****NOTIFICATION**

Delhi, the 7th August, 2025

**F. No. 21/5/DGST(2nd A)/2025/LAS-VIII/Legn./9741.**—The following is published for general Information:—

**THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2025****BILL NO. 05 OF 2025**

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 07 August, 2025)

**THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025****A****BILL**

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement:** - (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Second Amendment) Act, 2025.  
(ii) Section 2 to 15 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act.
2. **Amendment of section 2:** - In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 2, —
  - (i) in clause (61), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;
  - (ii) in clause (69), —
    - (a) in sub-clause (c), after the words “management of a municipal”, the word “fund” shall be inserted;
    - (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely: —

‘Explanation. —For the purposes of this sub-clause—

      - (a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
      - (b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;’;
  - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely: —

‘(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;’.
3. **Amendment of Section 12:** In section 12 of the Delhi Goods and Services Tax Act, sub-section (4) shall be omitted.

4. **Amendment of Section 13:** In section 13 of the Delhi Goods and Services Tax Act, sub-section (4) shall be omitted.
5. **Amendment of Section 17:** In section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (5), in clause (d), —
  - (i) for the words “plant or machinery”, the words “plant and machinery” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
  - (ii) the *Explanation* shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after *Explanation 1* as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: —
 

*‘Explanation 2. —For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to “plant or machinery” shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to “plant and machinery”;’.*
6. **Amendment of Section 20:** In section 20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of April, 2025, —
  - (i) in sub-section (1), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” shall be inserted;
  - (ii) in sub-section (2), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017,” shall be inserted.
7. **Amendment of Section 34:-** In section 34 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —
 

“Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

  - (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
  - (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.”.
8. **Amendment of Section 38:** In section 38 of the Delhi Goods and Services Tax Act, —
  - (i) in sub-section (1), for the words “an auto-generated statement”, the words “a statement” shall be substituted;
  - (ii) in sub-section (2), —
    - (a) for the words “auto-generated statement under”, the words “statement referred in” shall be substituted;
    - (b) in clause (a), the word “and” shall be omitted;
    - (c) in clause (b), after the words “by the recipient,”, the word “including” shall be inserted;
    - (d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: —
 

“(c) such other details as may be prescribed.”.
9. **Amendment of Section 39-** In section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), for the words “and within such time”, the words “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted.
10. **Amendment of Section 107.-** In section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —
 

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.”.
11. **Amendment of section 112:** In section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (8), the following proviso shall be inserted, namely: ---

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.”.

- 12. Insertion of new section 122B:** After section 122A of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely: —

“122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher.”.

- 13. Insertion of new section 148A:** After section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely: —

“148A. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify, —

- (a) the goods;
- (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1), ----

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall, —

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.”.

- 14. Amendment of Schedule III:** In Schedule III to the Delhi Goods and Services tax Act,

- (i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely: —

“(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;”;

- (ii) in *Explanation 2*, after the words “For the purposes of”, the words, brackets and letter “clause (a) of” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;

- (iii) after *Explanation 2*, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely: —

“*Explanation 3.* —For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.”.

- 15. No Refund of tax paid or input tax credit reversed:** No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 been in force at all material items.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of Tax on Intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.
2. The GST Council in its 55<sup>th</sup> meetings considered various issues regarding amendments in the definitions and recommended to make certain amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) to provide effects of amendment in the definitions and sections and insertion of new sections. The copy of the Gazette Notification of THE CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX (AMENDMENT) ACT, 2025 (NO. 07 OF 2025) are annexed as Annexure-I. Through The Central Goods and Service Tax (Amendment) Act, 2025 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Service Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the GST council 55<sup>th</sup> GST meeting dated 21<sup>st</sup> December 2024. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Service Tax (Second Amendment) Act, 2025 is required to be enacted by the State Legislature after making State specific modifications, wherever necessary.
3. The salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Second Amendment) Tax Bill, 2025 are stated as under:
  - (i) To amend Section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to to insert the words “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” after the words section 9 with effect from 1<sup>st</sup> day of April 2025.  
  
To insert the word fund after the words management of a municipal and insert explanation to define the expression “local fund” and “municipal fund”.  
  
To insert clause (116A) after clause 116 of Section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to define the expression “unique identification marking”.
  - (ii) To omit sub section (4) of Section 12 of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 related to time of supply of goods in case of vouchers.
  - (iii) To omit sub section (4) of Section 13 of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 related to time of supply of services in case of vouchers.
  - (iv) To amend clause (d) of sub section (5) of Section 17 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the words “plant or machinery” with the words “plant and machinery with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.
  - (v) To amend sub-section (1) and (2) of Section 20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for ISD registration requirement and manner of distribution of credit in case of inter-state supplies levy to IGST under RCM w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2025.
  - (vi) To amend the proviso in sub section (2) of Section 34 in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 wherein no reduction in output tax liability shall be permitted to the supplier upon issuance of credit notes in certain cases.
  - (vii) To amend Section 38 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute for the words “an auto-generated statement” with the words “statement”.
  - (viii) To amend sub-section (1) of Section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the words “and within such time” with the words “within such time and subject to such conditions and restrictions”.
  - (ix) To amend sub-section (6) of Section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, to provide for mandatory pre-deposit equal to 10% of penalty amount in case of filing of appeal before the Appellate Authority against order demanding only penalty and no tax.
  - (x) To insert proviso to sub-section (8) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, to provide for mandatory pre-deposit equal to 10% of penalty amount in case of filing of appeal before the Appellate Tribunal against order demanding only penalty and no tax.

- (xi) To insert Section 122B in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide penalty for failure to comply with track and trace mechanism.
  - (xii) To insert Section 148A after Section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for track and trace mechanism for certain goods on the recommendations of Council.
  - (xiii) To insert clause (aa) after clause (a) of Schedule III of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 clarifying that supply of goods warehoused in SEZ/FTWZ before clearance shall be treated as neither supply of goods nor supply of services.
  - (xiv) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 been in force at all material items.
4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

**(REKHA GUPTA)**  
**Chief Minister/ Minister(Finance)**  
**Government of NCT of Delhi**

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

**(REKHA GUPTA)**  
**Chief Minister/ Minister(Finance)**  
**Government of NCT of Delhi**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

**(REKHA GUPTA)**  
**Chief Minister/ Minister(Finance)**  
**Government of NCT of Delhi**



**NOTES ON CLAUSES****[For DGST (Second Amendment) Bill, 2025]**

1. Clause 1 of the Bill provides for short title and commencement.
2. Clause 2 of the Bill seeks to amend Section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to insert the words “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” after the words section 9 with effect from 1<sup>st</sup> day of April 2025.  
  
To insert the word fund after the words management of a municipal and insert explanation to define the expression “local fund” and “municipal fund”.  
  
To insert clause (116A) after clause 116 of Section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to define the expression “unique identification marking”.
3. Clause 3 of the Bill seeks to omit sub section (4) of Section 12 of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 related to time of supply of goods in case of vouchers.
4. Clause 4 of the Bill seeks to omit sub section (4) of Section 13 of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 related to time of supply of services in case of vouchers.
5. Clause 5 of the Bill seeks to amend clause (d) of sub section (5) of Section 17 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the words “plant or machinery” with the words “plant and machinery with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.
6. Clause 6 of the Bill seeks to amend sub-section (1) and (2) of Section 20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for ISD registration requirement and manner of distribution of credit in case of inter-state supplies levy to IGST under RCM w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2025.
7. Clause 7 of the Bill seeks to amend the proviso in sub section (2) of Section 34 in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 wherein no reduction in output tax liability shall be permitted to the supplier upon issuance of credit notes in certain cases.
8. Clause 8 of the Bill seeks to amend Section 38 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute for the words “an auto-generated statement” with the words “statement”.
9. Clause 9 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of Section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the words “and within such time” with the words “within such time and subject to such conditions and restrictions”.
10. Clause 10 of the Bill seeks to amend sub-section (6) of Section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, to provide for mandatory pre-deposit equal to 10% of penalty amount in case of filing of appeal before the Appellate Authority against order demanding only penalty and no tax.
11. Clause 11 of the Bill seeks to insert proviso to sub-section (8) of Section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, to provide for mandatory pre-deposit equal to 10% of penalty amount in case of filing of appeal before the Appellate Tribunal against order demanding only penalty and no tax.
12. Clause 12 of the Bill seeks to insert Section 122B in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide penalty for failure to comply with track and trace mechanism.
13. Clause 13 of the Bill seeks to insert Section 148A in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 to provide for track and trace mechanism for certain goods on the recommendations of Council.

14. Clause 14 of the Bill seeks to insert clause (aa) after clause (a) of Schedule III of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 clarifying that supply of goods warehoused in SEZ/FTWZ before clearance shall be treated as neither supply of goods nor supply of services.
15. Clause 15 of the Bill seeks to No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 been in force at all material items.

**(REKHA GUPTA)**  
**Chief Minister/Minister(Finance)**  
**Government of NCT of Delhi**